

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दरतावेज प्रार्थी 1. के आधार कार्ड नम्बर 9374 4747 7693 में प्रार्थी का नाम भैरूराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दरतावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार भैराराम के स्थान पर भैरूराम किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह तार्ईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दरतावेजात में नाम एवं राजस्व रिकोर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकोर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकोर्ड (जमाबंदी) में मौजा जानेवा पश्चिम के खाता संख्या 59 में दर्ज भैराराम के स्थान पर भैरूराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश: : —



अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा जानेवा पश्चिम के खाता संख्या 59, में दर्ज नाम भैराराम के स्थान पर भैरूराम दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डेह को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।


(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायला (नोगौर) जिल्ला